निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 513) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 जून 2013

सं0 22 / नि0सि0(भाग0)–09–08 / 2011 / 638—श्री कौशल किशोर मिश्र, आई0डी0–3631 तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया को बाढ़ नियंत्रण कार्य में लापरवाही बरतने एवं अन्य विफलताओं तथा भ्रामक प्रगति प्रतिवेदन देने आदि आरोपों के लिए मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्ण विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0–745 दिनांक 23.6.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1062 दिनांक 19.8.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी सह सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3197 दिनांक 22.10.11 एवं पत्रांक 678 दिनांक 5.3.12 द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त जांच प्रतिवेदन से निम्नांकित असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 411 दिनांक 24.4.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गयाः–

(क) प्री–लेवेल की जांचित प्रति कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही सभी उच्चाधिकारियें को समर्पित किया जाना आवश्यक होता है परन्तु कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया द्वारा इसे समर्पित नहीं किया गया। अतएव विभागीय पत्रांक 1185 दिनांक 10.5.11 के आलोक में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1971 दिनांक 16.6.11 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक 977 दिनांक 18.6.11 द्वारा तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को प्री लेवेल की जॉचित प्रति बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को चौबीस धंटे के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। पुनः अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल, भागलपुर द्वारा अपने पत्रांक 1049 दिनांक 23.6.11 द्वारा निदेशित किया गया कि वर्ष 2011 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्यो का प्री–लेवेल की जॉच असम्बद्व अभियन्ता से कराकर संवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कराते हुए उसकी एक एक प्रति विभाग मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को लौटती डाक से उपलब्ध करायी जाय। यदि उक्त अभिलेख इनके द्वारा श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को दिनांक 1.6.11 को ही उपलब्ध करायी जा चुकी थी तो इसकी सूचना इनके द्वारा संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को पूर्व में उनके प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से क्यों नहीं दी गयी। स्पष्टतः इनपर वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं मापी की पारदर्शिता में बाधा उत्पन्न करने का आरोप प्रमाणित होता है। इनके द्वारा अपने बचाव बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सभी प्री लेवेल बुक की छायाप्रति मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना के कार्यालय

के सुसंगत अभिलेख में संधारित है परन्तु इनके द्वारा मात्र प्री सेक्शन बुक की छाया प्रति परिशिष्ट–''क'' के रूप मे संलग्न किया गया है। इनके द्वारा बाढ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल कार्यालय के सुसंगत अभिलेख में संधारण से संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः आरोप सं0–1 के संबंध में इनके बचाव बयान को अस्वीकार करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध रहने के आलोक में इनके विरूद्व गठित आरोप सं0–1 प्रमाणित होता है।

(ख) कार्य की प्रगति मात्र निर्माण सामग्रियों के उपलब्धता के आधार पर दी गयी है जबकि इन सामग्रियों का उपयोग कार्य के क्रियान्वयन में होने के उपरान्त कार्य के प्रगति को प्रतिशत के रूप में दर्शाते हुए किया जाना चाहिए था। स्पष्ट है कि जांच पदाधिकारी द्वारा जिस आधार पर इनको दोषमुक्त किया गया है वह आधार सही नहीं है। अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल, भागलपुर द्वारा दिनांक 25.5.11 को स्थल निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित वास्तविक प्रगति को अमान्य करने का भी कोई आधार आपके द्वारा नहीं दिया गया है। इसी क्रम में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा भी पत्रांक 1716 दिनांक 30.5.11 के माध्यम से कार्य की वास्तविक प्रगति मात्र बीस प्रतिशत ही आकलित की गयी है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आरोप सं0–3 इनके विरूद्व प्रमाणित होता है।

3. उक्त दोनों असहमति के विन्दुओं पर श्री कौशल किशोर मिश्र, निलंबित सहायक अभियन्ता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गयेः–

(क) पूर्व में विभागीय समीक्षा में ऐसा पाया गया है कि बाढ़ 2011 के पूर्व प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्य से संबंधित मिट्टी कार्य के प्री लेवेल की जांच असम्बद्व प्रमण्डल से कराते हुए उसकी जांचित प्रति श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को दिनांक 1.6.11 को स्थल निरीक्षण के दौरान हाथो हाथ उपलब्ध करा दी गयी थी। उक्त प्री लेवेल का कार्य दिनांक 2.5.11 एवं 3.5.11 को सम्पन्न किया गया जिसके आधार पर मिट्टी कार्य के गणना हेतु ग्राफ सीट तैयार किया गया जिसकी छाया प्रति उत्तर प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध करायी गयी है। उक्त ग्राफ सीट को संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दिनांक 11.5.11 को हस्ताक्षरित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा प्री लेवेल की जांचित प्रति स समय उपलब्ण नहीं कराने का न तो इनके विरूद्व कोई आरोप है और न ही कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी श्री कौशल किशोर मिश्र द्वारा मिट्टी कार्य से संबंधित प्री लेवेल लेते हुए इसकी जांच असम्बद्व प्रमण्डल से स समय करायी गयी एवं उसकी एक प्रति प्रमण्डलीय कार्यालय को दिनांक 3.5.11 को उपलब्ध करा दी गयी थी। आरोपित पदाधिकारी के इस कथन की पुष्टि इनके द्वारा प्रस्तुत संबंधित प्री लेवेल की छाया प्रति जो कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दिनांक 11.5.11 को हस्ताक्षरित है से भी होती है। तत्पश्चात संबंधित कार्यपालक अभियन्ता की यह जिम्मेवारी बनती थी कि वे उक्त प्री लेवेल की जांचित प्रति सभी संबंधित वरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध करा देते ताकि मापी में पारदर्शिता बनी रहती किन्तु संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त वर्णित स्थिति में आरोपित सहायक अभियन्ता, श्री कौशल किशोर मिश्र का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है एवं आरोप सं0–1 इनके विरूद्व प्रमाणित नहीं होता है।

(ख) स्पर सं0–6 एवं 7 के प्रभारी होने के नाते इनके द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन निर्माण सामग्रियों का उपयोग कार्य के क्रियान्वयन में होने के उपरान्त कार्य के प्रगति को प्रतिशत में दर्शाते हुए किया गया है जैसा कि उपलब्ध कराये गये प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

आरोपित पदाधिकारी श्री कौशल किशोर मिश्र से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य अवर प्रमण्डलों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर प्रमण्डलीय स्तर पर संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा समेकित रूप से तैयार प्रगति प्रतिवेदन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने हेतु बोल्डर ढुलाई मद का प्रावधान प्रगति प्रतिवेदन में किया गया है जिसके लिये श्री मिश्र दोषी नहीं है। उक्त वर्णित स्थिति में आरोप सं0–3 इनके विरूद्व प्रमाणित नहीं होता है एवं आरोप सं0–3 के संदर्भ में विभागीय असहमति के बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

4. उपर्युक्त कंडिका–3 में पाये गये तथ्यों के आलोक में सरकार के स्तर पर श्री कौशल किशोर मिश्र, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया सम्प्रति निलंबित को आरोप मुक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में श्री मिश्र, सहायक अभियन्ता (निलंबित) द्वारा प्राप्त निलंबन भत्ता को समायोजित करते हुए उक्त अवधि में उन्हें पूर्ण वेतनादि दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री कौशल किशोर मिश्र, सहायक अभियन्ता (निलंबित) को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 513-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in